Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम मण्डावर जिला दौसा

नत्थू लाल बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा – राज. भू.राजस्व अधिनियम 1956 धारा 136 मुकदमा संख्या 57/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.03.2024		

नत्थू लाल मीना पुत्र बंशी लाल मीना जाति मीना निवासी नांगल मीना तहसील मण्डावर जिला दौसा

....................प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा
2.अभिषेक पुत्र अमरसिंह
3.अमितकुमार पुत्र अमरसिंह
4.गीता पत्नी अमरसिंह
5.महेश पुत्र देवीसहाय
6.सीताराम पुत्र देवीसहाय समस्त जाति मीना निवासी नांगल मीना तहसील मण्डावर जिला दौसा

.......................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित 1. श्री जितेन्द्र गुर्जर एडवोकेट– प्रार्थी
2. सरकार पेरोकार–तहसीलदार मण्डावर

निर्णय

दिनांक 09.03.2024

आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं अप्रार्थी तहसीलदार मण्डावर स्वयं उपस्थित हुये। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर पैरा संख्या 01 में वर्णित (जमाबंदी संवत् 2073–2076 ग्राम नांगल मीना पटवार हल्का जटवाडा तहसील मण्डावर जिला दौसा के खाता संख्या नया क्रमशः 73 व 74) ग्राम नांगल मीना तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी के पिता बंशीलाल की खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी के पिता स्व. बंशी की मृत्यु के बाद राजस्व कर्मचारियों ने नामान्तकरण पर राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से नथोली पुत्र बंशी दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी का सही नाम नत्थूलाल पुत्र बंशी है। उक्त गलती के बने रहने से प्रार्थी को भारी नुकसान हो रहा है तथा प्रार्थी के अधिकारों का हनन हो रहा है। उक्त दरूस्ती किये जाने से किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति होने की संभावना भी नहीं है। उक्त गलत प्रविष्ठि की पूर्व में जानकारी नहीं थी। ले[illegible] द्वारा नकल लेने पर इसकी जानकारी हुई। राज[illegible] अभि[illegible] की प्रतिलिपि प्राप्त करने पर उक्त गलत इन्द्राज [illegible] करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Navneet Kumar
Date: 2024.03.18 10:23:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with CamScanner

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम मण्डावर जिला दौसा

नत्थू लाल बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा – राज. भू.राजस्व अधिनियम 1956 धारा 136 मुकदमा संख्या 57/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नम्बर 01 में दर्ज नाथूलाल पुत्र बंशीलाल जाति मीना निवासी नांगल मीना तहसील मण्डावर जिला दौसा को हजफ फरमाया जाकर उसके स्थान पर नत्थू लाल पुत्र बंशीलाल जाति मीना निवासी नांगल मीना तहसील मण्डावर जिला दौसा दर्ज करने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 के नोटिस बाद तामील प्राप्त । दिनांक 11.01.24 को अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 को बार–बार आवाज दिलवाई गई कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार मण्डावर की ओर से जवाब जवाब इस आशय का पेश किया गया कि तहसील मण्डावर जिला दौसा के ग्राम नांगल मीना की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 73 एवं 74 में नथौली पुत्र बंशी जाति मीना सा देह दर्ज रिकार्ड है। परिवादी नत्थूलाल पुत्र बंशीलाल के सभी दस्तावेजात यथा पहचान पत्र, आधारकार्ड, बैंक पासबुक एवं पीपीओ फार्म (रेल्वे विभाग) सभी में नत्थूलाल पुत्र बंशीलाल जाति मीना दर्ज है। भू0अ0 निरीक्षक्क उकरूंद एवं पटवारी हल्का जटवाडा की रिपोर्ट अनुसार नत्थूलाल पुत्र बंशीलाल एवं नथौली पुत्र बंशी दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। ग्राम नांगल मीना की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 73 एवं 74 में नथौली पुत्र बंशी जाति मीना सा देह के स्थान पर नत्थूलाल पुत्र बंशीलाल जाति मीना सा देह शुद्ध किया जाना अपेक्षित है। हमने उभय पक्ष को सुना। पत्रावली एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम नांगल मीना तहसील मण्डावर जिला दौसा के खाता संख्या 73 एवं 74 में प्रार्थी सा. देह खातेदार है। उक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थी का नाम नथोली पुत्र बंशी दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात यथा पहचान पत्र, आधारकार्ड, बैंक पासबुक एवं पीपीओ फार्म (रेल्वे विभाग) सभी में नत्थूलाल पुत्र बंशीलाल दर्ज है। तहसीलदार मण्डावर ने भी अपने जवाब में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नथोली पुत्र बंशी की जगह नत्थूलाल पुत्र बंशीलाल दुरस्त करने की अभिशंषा की है। उक्त त्रुटि एक लिपिकीय त्रुटि है [illegible] 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्राव[illegible]सार राजस्व रिकॉर्ड में हुई नाम अशुद्धि को शुद्ध [illegible] जा[illegible] है। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Navneet Kumar
Date: 2024.03.18 10:23:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम मण्डावर जिला दौसा

नत्थू लाल बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा – राज. भू.राजस्व अधिनियम 1956 धारा 136 मुकदमा संख्या 57/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी की सहमति के आधार पर ग्राम नांगल मीना तहसील मण्डावर जिला दौसा के खाता संख्या 73 एवं 74 (प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 01 में वर्णित भूमि) में खातेदार नथोली पुत्र बंशी के स्थान पर नत्थूलाल पुत्र बंशीलाल जाति मीना दुरस्त करने के आदेश प्रदान किये जाते है। शेष इन्द्राज जमाबंदी यथावत/बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार मण्डावर को आदेश की पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो व बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्व अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच महवा न्यायिक अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच महवा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Navneet Kumar
Date: 2024.03.18 10:23:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner